



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14062022-236576
CG-DL-E-14062022-236576

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2601]
No. 2601]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 14, 2022/ज्येष्ठ 24, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 14, 2022/JYAISHTHA 24, 1944

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मई, 2022

का.आ. 2733(अ).—केंद्र सरकार, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का 37) द्वारा यथा संशोधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा प्रोफेसर आनंद भालेराव, कुलपति, केंद्रीय विश्व विद्यालय, राजस्थान को डॉ. हकम दान चरण, कुलपति, बीकानेर तकनीकी विश्व विद्यालय के स्थान पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर के संस्थान निकाय के सदस्य के रूप में नामित करती है, और उस प्रयोजन से दिनांक 10 जून, 2020 के का.आ.1830 (अ) के द्वारा भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिनांक 18 मई, 2020 की अधिसूचना सं जेड-28016/177/2019-पीएमएसएसवाई-IV में निम्नलिखित संशोधन करती हैं :

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 1 और उससे संबंधित प्रविष्टि में, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“धारा 4 के खंड (कक) के अंतर्गत सदस्य:

“प्रोफेसर आनंद भालेराव, कुलपति, केंद्रीय विश्व विद्यालय, राजस्थान”

सदस्य का कार्य काल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 6 में निहित प्रावधानों द्वारा शासित होगा।

[फा. सं. जेड-28016/177/2019-पीएमएसएसवाई-IV]

नीलाम्बुज शरण, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd May, 2022

S.O. 2733(E).—In exercise of powers conferred by Section 4 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956) as amended by All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Act, 2012 (37 of 2012), the Central Government hereby nominates **Professor Anand Bhalerao, Vice Chancellor, Central University of Rajasthan** to be member of Institute Body of All India Institute of Medical Sciences, **Jodhpur** in place of Dr. Hakam Dan Charan, Vice Chancellor, Bikaner Technical University, and for that purpose makes the following amendment in the notification of Government of India, Ministry of Health & Family Welfare, Number Z-28016/177/2019-PMSSY-IV dated the 18th May, 2020 published in the Gazette of India Part II, section 3, Sub-Section (ii) vide S.O. 1830(E) dated the 10th June, 2020:

In the said notification, for serial number 1 and the entry related thereto, the following should be substituted, namely:-

“ Member under clause (aa) of Section 4:

“1. **Professor Anand Bhalerao, Vice Chancellor, Central University of Rajasthan**”

The terms of office of member shall be governed by the provisions contained in Section 6 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956.

[F. No. Z-28016/177/2019-PMSSY.IV]

NILAMBUJ SHARAN, Economic Advisor